70

कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

DS(S)

नगर विकास एवं आवास विभाग
15 MAR 2013
बिहार सरकार, पटना

स0 ए0 ए0 /एस0 एस0 –1/श0 स्था0 नि0/14333/1015 दिनांक:– 08/03/13

सेवा में,

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार सरकार, पटना

महाशय,

1447/08
18/3/13

नगर पंचायत खुसरूपुर के वर्ष 2008–09 से 2011–12 तक के लेखाओं पर आधारित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सं0 444/12–13 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित करवाया जाय जिससे लेखा परीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखा परीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

80-9
18/3/13

संलग्नकः यथोपरि

18/3

भवदीय,
08/03/13
लेखा परीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय
सोशल सेक्टर–1
बिहार, पटना

20/2/13

(69)

नगर पंचायत खुसरूपुर
निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या–444/12–13
(अवधि– 2008–09 से 2011–12 तक)

1. प्रस्तावना

नगर पंचायत खुसरुपुर के वित्तीय वर्ष 2008–09 से 2011–12 तक के लेखाओं की नमूना लेखा परीक्षा प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा बिहार, पटना, के लेखा परीक्षा दल द्वारा 01.10.2012 से 06.10.2012 तक की अवधि में किया गया।

2. प्रशासन

(क) कार्यपालक पदाधिकारी

कम सं	नाम	कार्य अवधि
1.	श्री सतीश कुमार वर्मा	01.04.2008 से 24.07.2009 (F/N)
2.	श्री ओम प्रकाश महतो	24.07.2009 से 23.07.2010 (A/N)
3.	श्री ललित मोहन प्रसाद	24.07.2010 से 31.03.2012

(ख) मुख्य पार्षद

कम सं	नाम	कार्य अवधि
1.	श्री प्रमोद कुमार निराला	01.04.2008 से 12.02.2010
2.	श्री विजय प्रसाद	13.02.2010 से 31.03.2012

(ग) उपमुख्य पार्षद

कम सं	नाम	कार्य अवधि
1.	श्री विजय प्रसाद	01.04.2008 से 12.02.2010
2.	श्रीमति अनिता देवी	13.02.2010 से 31.03.2012

3. **अंकेक्षण का कार्यक्षेत्र :-**

लेखा परीक्षा में नमूना जॉच किये गये पंजियों एवं अभिलेखों की सूची प्रतिवेदन के परिशिष्ट - I (अ) में दर्शाया गया है। जिन अभिलेखों एवं पंजियों को अंकेक्षण में उपस्थापित नही किया गया था या अधूरा संधारित था, को परिशिष्ट – I (ब) में दर्शाया गया है।

4. **पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदन :–**

नगर पंचायत, खुसरुपुर को पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की लंबित कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन तैयार कर दल के समक्ष प्रस्तुत करने का अनुरोध अंकेक्षण दल के द्वारा किया गया था।

लेकिन, नगर पंचायत, खुसरुपुर के द्वारा लंबित कंडिकाओं से संबंधित अनुपालन प्रतिवेदन अंकेक्षण दल के समक्ष नही प्रस्तुत किया गया।

नगर पंचायत, खुसरुपुर के द्वारा जवाब दिया गया कि संबंधित अनुपालन प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है जिसे शीघ्र भेज दिया जाएगा।

अतः लंबित कंडिकाओं से संबंधित अनुपालन प्रतिवेदन तैयार कर यथाशीघ्र कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), शाखा स्थानीय लेखापरीक्षा, बिहार को भेजा जाए।

5. **अंकेक्षण की प्रमुख उपलब्धियॉ :–**

कम सं.	कंडिका संख्या	विवरण (संक्षिप्त)	राशि (₹)
1	11	नही / कम जमा	42,303.00
2	12	बकाया मोबाईल टावर शुल्क	1,86,000.00
3	13	वैट की राशि की कटौती नही	35,375.00

4	15	योजनाओं में क्षतिपूर्ति की राशि की कटौती नही	49820.00
5	16	प्रशासनिक भवन का विभागीय कार्यान्वयन	24,25,180.00
6	17	दैनिक मजदूरी पर व्यय	2,59,123.00

6. (i) **बैंक खाता का संव्यवहार:–**

(क) **पी0 एल0 खाता -**

नगर पंचायत, खुसरुपुर में पी0 एल0 खाता से संबंधित एक रोकड़ बही का संधारण किया जाता था। उक्त रोकड़ बही के अनुसार वित्तीय वर्ष 2008–09 से 2011–12 तक का संव्यवहार निम्नलिखित है.

क.सं.	वर्ष	2008–09(₹)	2009–10(₹)	2010–11(₹)	2011–12(₹)
1	प्रारम्भिक शेष	1194443.91	20,98,639.91	22,40,543.91	18,40,543.91
2	प्राप्तियॉ	20,94,956.00	7,63,150.00	7,02,833.00	60,25,616.08
3	कुल प्राप्तियॉ (1+2)	32,89,399.91	28,61,789.91	29,43,376.91	78,66,159.99
4	व्यय	11,90,760.00	6,21,246.00	11,02,833.00	7,09,738.00
5	अंतशेष (3–4)	20,98,639.91	22,40,543.91	18,40,543.91	71,56,421.99

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट –II पर)

66

अंकेक्षण आपत्ति –

1. ट्रेजरी पासबुक अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किया गया। अतः ट्रेजरी पासबुक के अंतशेष से इसका मिलान नही किया जा सका। ट्रेजरी पासबुक को अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

2. उक्त रोकड़ बही में सरकारी अनुदान प्राप्ति के पूर्ण विवरण का उल्लेख नही किया गया था। रोकड़ बही की इस त्रुटि को दूर करने का प्रयास किया जाए तथा अगले अंकेक्षण में दिखाया जाए।

(ख) आय.व्यय विवरणी– लेखापाल रोकड़ बही (General Cash Book)

नगर पंचायत, खुसरुपुर में लेखापाल के द्वारा सामान्य रोकड़ बही के अनुसार वित्तीय वर्ष 2008–09 से 2011–12 तक की आय.व्यय विवरणी निम्नलिखित हैः–

कम सं.	वर्ष	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12
1	प्रारम्भिक शेष	34,30,399.67	33,77,751.67	34,24,099.99	34,03,791.99
2	प्राप्ति	16,57,309.00	27,29,035.32	24,23,144.00	36,32,814.00
3	कुल प्राप्ति (1+2)	50,87,708.67	61,06,786.99	58,47,243.99	70,36,605.99
4	व्यय	17,09,957.00	26,82,687.00	24,43,452.00	31,42,192.00
5	अंतशेष (3–4)	33,77,751.67	34,24,099.99	34,03,791.99	38,94,413.99

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट–III पर)

उक्त रोकड़ बही से संबंधित निम्नलिखित पासबुक थे :–

कम सं.	बैंक का नाम	खाता सं.	राशि अवशेष (₹) (31.03.2012 को)
1	केनरा बैंक, फतुहा	0286101028597	20,38,713.00
2	केनरा बैंक, फतुहा	0286101028598	1807.00

3	एस.बी.आई. खुसरुपुर	30350573229	3,61,162.00
4	पी.एन.बी., खुसरुपुर	8300	3,11,865.00
5	एस.बी.आई. खुसरुपुर	11713118048 (CA)	9,35,934.07
6	एस.बी.आई. खुसरुपुर	11713144056	1,39,372.32
		कुल	37,88,853.39

31.03.2012 को रोकड़ बही एवं बैंक पासबुक में अंतर ₹ 1,05,560.60 (₹38,94,413.99 ₹37,88,853.39) था।

उक्त अंतर का समाधान विवरणी अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत नही किया गया। नगर पंचायत द्वारा जवाब दिया गया कि उक्त अंतर का समाधान किया जाएगा।

अतः उक्त अंतर का समाधान विवरणी यथाशीघ्र तैयार कर अगले अंकेक्षण को दिखाया जाए।

<u>6(ii) रोकड़ बही की त्रुटियॉ</u> :

(i) प्रारंभिक शेष का विश्लेषण नही किया गया था।

(ii) रोकड़ बही में मासिक अंतशेष नही दर्शाया गया था।

(iii) प्राप्ति एवं भुगतान से संबंधित लेखा शीर्ष का पूर्ण विवरण का उल्लेख नही किया गया था।

(iv) सरकारी अनुदान प्राप्ति के पूर्ण विवरण का उल्लेख नही किया गया था।

(v) मासिक, त्रैमासिक तथा वार्षिक लेखा तैयार नही किये गये थे।

(vi) भुगतान के संबंध में पूर्ण विवरण जैसे . योजना सं., भुगतान का उद्धेश्य, अभिश्रव सं. आदि रोकड़ बही में अंकित नही था।

नगर पंचायत द्वारा जवाब दिया गया कि रोकड़ बही की उक्त त्रुटियॉ दूर की जायेंगी।

अतः रोकड़ बही की उक्त त्रुटियों को यथाशीघ्र दूर कर अगले अंकेक्षण को दिखाया जाए।

64

7. **आंतरिक अंकेक्षण** :

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 97 में तथा बिहार नगरपालिका लेखा नियम 1928 के नियम . 20, 64, 73 (क) में यह उपबंधित है कि आंतरिक जॉच अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यपालक पदाधिकारी/ विशेष पदाधिकारी अथवा अन्य जिम्मेवार अधिकारी जिसे प्राधिकृत किया जाए, उसके द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार की जॉच की व्यवस्था उचित नियंत्रण, अभिलेखों के संधारण अथवा किसी भी संभावित वित्तीय अनियमितता को दूर करने हेतु की गई है। खुसरुपुर नगर पंचायत में इस प्रकार की व्यवस्था नही की गई थी, फलस्वरूप अनेक त्रुटिया घटित हुई, जिनकी विवेचना आगे की कंडिकाओं में की गई है। अतः सुझाव दिया जाता है कि आंतरिक लेखा परीक्षा से संबंधित प्रावधानों को लागु किया जाये।

8. **अनुदान** :

नगर पंचायत, खुसरुपुर में अनुदान पंजी का संधारण नही किया गया था। जिसके आभाव में वर्ष के प्रारंभ में अव्ययित अनुदान राशि, वर्ष के दौरान व्यय राशि तथा वर्ष के अंत में अव्ययित शेष अनुदान राशि की स्थिति का आकलन लेखा परीक्षा में नही किया जा सका।

उपलब्ध कराये गये रोकड़ बहियों के अनुसार वर्ष 2008–09 से 2011–12 तक कुल रु. 6526744.00 सरकार से अनुदान के रुप में प्राप्त किया गया था। जिसकी विवरणी निम्न है :.

कम सं.	वित्तीय वर्ष	अनुदान की राशि (₹)
1	2008–09	23,96,937.00
2	2009–10	23,29,533.00
3	2010–11	16,00,665.00
4	2011–12	01,99,609.00
कुल		65,26,744.00

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट –IV पर)

अनुदान पंजी का संधारण कर अगले अंकेक्षण को दिखाया जाए।

9. **मांग एवं वसूली** :

(क) **गृहकर** :

नगर पंचायत, खुररुपुर में गृहकर से संबंधित मांग एवं वसूली का संधारण नही किया गया था। टैक्स दारोगा द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2008–09 से 2011–12 के दौरान गृहकर के रुप में निम्न वसूली की गई थी .

कम सं.	वित्तीय वर्ष	कुल मॉग (₹)	कुल वसूली (₹)	वसुली (% में)
1	2008–09	153800.00	85,600.00	55.66
2	2009–10	454200.00	1,11,153.00	24.47
3	2010–11	729047.00	2,55,721.00	35.08
4	2011–12	859326.00	1,57,173.00	18.29
कुल		2196373.00	6,09,647.00	27.76

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट –V पर)

उपलब्ध कराये गये आंकडों के अनुसार वसूली का प्रतिशत 18% से लेकर 55.65% के बीच था, जो अत्यन्त कम था।

नगर पंचायत द्वारा जवाब दिया गया कि वसूली बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा।

अतः मांग एवं वसूली पंजी का संधारण कर तथा वसूली बढ़ाने का ठोस प्रयास कर अगले अंकेक्षण को दिखाया जाए।

9. (ख) **खतरनाक एवं भयावह व्यापार कर** :

नगर पंचायत, खुसरुपुर में खतरनाक एवं भयावह व्यापार कर से संबंधित मांग एवं वसूली पंजी का संधारण नही किया गया गया था। टैक्स दारोगा सह लेखापाल के द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2008–09 से 2011–12 के दौरान खतरनाक एवं भयावह व्यापार कर के रुप में निम्न वसूली की गयी थी .

62)

संख्या	वित्तीय वर्ष	कुल मॉग (₹)	कुल वसुली	वसुल (% में)
1	2008–09	46915.00	700.00	1.49
2	2009–10	50625.00	100.00	0.20
3	2010–11	54435.00	650.00	1.19
4	2011–12	57495.00	3400.00	5.91
	कुल	209470.00	4850.00	2.32

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट – vi पर)

उपलब्ध कराये गये आंकडों के अनुसार वसूली का प्रतिशत अत्यंत निम्न था। जो 0.20% से 5.91% तक रहा।

नगर पंचायत, खुसरुपुर के द्वारा जवाब दिया गया कि वसूली बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। अतः खतरनाक एवं भयावह व्यापार कर से संबंधित मांग एवं वसूली पंजी का संधारण कर एवं वसूली बढ़ाने के ठोस प्रयास कर अगले अंकेक्षण को दिखाया जाए।

9. (ग) <u>फुड एवं एडल्ट्रेशन</u> :

नगर पंचायत, खुसरुपुर में फुड एवं एडल्ट्रेशन से संबंधित मांग एवं वसूली पंजी का संधारण नही किया गया था। टैक्स दारोगा सह लेखापाल के द्वारा उपलब्ध कराये गये ऑकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2008–09 से 2011–12 के दौरान फुड एवं एडल्ट्रेशन के रुप में निम्न वसूली की गई थी –

कमांक	वित्तीय वर्ष	कुल मॉग	कुल वसुली	वसुली (% में)
1	2008–09	53222.00	335.00	0.63
2	2009–10	77242.00	405.00	0.52
3	2010–11	61192.00	450.00	0.74
4	2011–12	64597.00	1795.00	2.78
	कुल	236253.00	2985.00	1.26

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट–VII .पर)

उपलब्ध कराये गये आंकड़ो के अनुसार वसूली का प्रतिशत अत्यंत निम्न था। जो 0.6% से 2.8% तक रहा।

नगर पंचायत, खुसरुपुर के द्वारा जवाब दिया गया कि वसूली बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा।

फुड एवं एडल्ट्रेशन से संबंधित कर की मांग एवं वसूली पंजी का संधारण कर अगले अंकेक्षण को दिखाया जाए एवं वसुली दर बढ़ाने हेतु यथाशीध्र आवश्यक कदम उठाया जाये।

10. **<u>शिक्षा उपकर एवं स्वास्थ्य उपकर की राशि का संबंधित विभाग के खाते में जमा नही</u>** :

नगर पंचायत, खुसरुपुर के टैक्स दारोगा के द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2008–09 से 2011–12 के दौरान ₹3,04,823.50 की राशि शिक्षा उपकर एवं स्वास्थ्य उपकर के रुप में वसूली गयी थी। (विस्तृत विवरणी परिशिष्ट. VIII पर)

सरकार के निदेशानुसार शिक्षा उपकर एवं स्वास्थ्य उपकर के रुप में वसूली गयी राशि में से 10% कलेक्शन चार्ज के रुप में काटकर शेष राशि रु. 2,74,341.15 (1,37,170.575 + 1,37,170.575) सरकार के खाते में संबंधित शीर्ष में जमा कराना था।

परंतु वित्तीय वर्ष 2008–09 से 2011–12 के दौरान नगर पंचायत, खुसरुपुर द्वारा उक्त मद की राशि संबंधित विभाग को नहीं भेजी गई थी।

नगर पंचायत द्वारा जवाब दिया गया कि उक्त राशि संबंधित विभाग को जमा करा दी जाएगी।

अतः शिक्षा उपकर एवं स्वास्थ्य उपकर की राशि को सरकारी खाते के संबंधित शीर्ष में यथाशीघ्र जमा कर अगले अंकेक्षण को दिखाया जाए।

11. **<u>अंकेक्षण के दौरान जमा की गई.₹0.42 लाख</u>**

नगर पंचायत, खुसरुपुर के कर संग्रहकर्ताओं के द्वारा ₹42,302.40 के कर संग्रहण की राशि नगर पंचायत कोष में जमा नही की गई थी। विवरणी निम्न है :

60

कमांक	संग्रहकर्ता का नाम/पद	रसीद सं.	कुल संग्रहित राशि(₹)	जमा की गई राशि (₹)	कम/नही जमा (₹)	अभियुक्ति
1	रामदेव दास, टैक्स दारोगा	12851.879/5.9. 2012.29.9.2012	15,842.60	शून्य	15,842.60	दि. 04.10.2012 को खाता सं. 11713118048, एस.बी.आई., खुसरुपुर में रु. 15,849.00 की राशि जमा की गयी।
2	अरविन्द कुमार, कर संग्रहकर्ता	12,277.291/12. 05.2012 .11.09. 2012	4494.80	शून्य	4494.80	दि. 04.10.2012 को एस.बी. आई., खुसरुपुर खाता सं. 11713118048 में रु. 4495.00 की राशि जमा की गई।
3	शंभुनाथ सहाय,	12475.805/03. 02.2012.29.08. 2012	21,965.00	शून्य	21,965.00	दि. 05.10.2012 को एस.बी. आई., खुसरुपुर खाता सं. 11713118048 में रु. 21,965.00 की राशि जमा की गई।
कुल			42,302.40	शून्य	42,302.40	42,302.40 के कम/नही जमा

इस प्रकार ₹ 42,303.00 की राशि अंकेक्षण के दौरान जमा कर दी गई।

12. **<u>मोबाईल टावर शुल्क/टैक्स की बकाया राशि : (₹1,86,000.00)</u>**

बिहार संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नियमावली 2012 के कंडिका 6 (1) (ii) के अनुसार नगर पंचायत के लिए उक्त रजिस्ट्रेशन फी की राशि ₹30,000.00 प्रति टावर होगी।

कंडिका 6 (2) के अनुसार इस नियम के प्रभाव में आने के पहले नगर पंचायत में स्थापित टावरों से रिन्यूवल फी की राशि 'No. of completed years x ₹8000' होगी

नगर पंचायत, खुसरुपुर के मोबाईल टावरों से संबंधित संचिका के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि 31.03.2012 को मोबाईल टावरों से रु. 1,86,000.00 की राशि बकाया थी।

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट–IX पर)

नगर पंचायत, खुसरुपुर के द्वारा जवाब दिया गया कि उक्त राशि की वसूली के लिए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

अतः रु. 1,86,000.00 के बकाया मोबाईल टावर शुल्क की वसूली संबंधित मोबाईल टावरों से यथाशीघ्र कर अगले अंकेक्षण को दिखाया जाए।

13. **वैट की राशि की कटौती नही (₹ 35,375.00)**

नगर पंचायत, खुसरुपुर के द्वारा दिनांक 01.08.2009 को संपन्न हुई बोर्ड की बैठक में लिए गये निर्णय (प्रस्ताव सं0 02) के आलोक में एक कूड़ा ढोने वाला Piaggio वाहन का क्रय किया गया था। जिससे संबंधित विवरण निम्नलिखित है:.

Piaggio --- 2,83,000=00

वैट.	35,375.00
कुल.	3,18,375.00

नगर पंचायत द्वारा उक्त राशि का भुगतान चेक सं. 490344 दिनांक 11.09.2009 के द्वारा संबंधित फर्म को किया गया।

अंकेक्षण आपत्ति : बिहार मूल्यवद्विर्त कर अधिनियम, 2005 की धारा 40 एवं नियमावली के नियम 28 के अनुसार

संबंधित फर्म को वैट की राशि काटकर ₹2,83,000.00 का भुगतान करना चाहिए था। जबकि राशि ₹318375.00 का भुगतान किया गया था। इस प्रकार संबंधित कंपनी को ₹ 35,375.00 का अधिक भुगतान कर दिया गया।

अतः ₹ 35,375.00 की राशि संबंधित/ जिम्मेदार व्यक्ति से वसूल कर सरकार के खाते में संबंधित शीर्ष में जमा की जाए।

14. **योजनाओं की भौतिक स्थिति** :

नगर पंचायत, खुसरुपुर में योजना पंजी का संधारण समुचित ढ़ंग से नही किया गया था। इस योजना पंजी में प्राक्कलित राशि, भुगतान की गई राशि, योजनाओं की भौतिक स्थिति इत्यादि से संबंधित विवरण दर्ज नही था।

उपलब्ध कराई गयी योजना संचिकाओं के आधार पर वित्तीय वर्ष 2008–09 से 2011–12 में ली गई योजनाओं की भौतिक स्थिति निम्न थी:–

58)

क्र. सं.	मद	वर्ष	कुल ली गई योजनाओं की संख्या	पूर्ण योजनाओं की संख्या	अपूर्ण योजनाओं की संख्या	अपूर्ण योजनाओं की प्रा. राशि	अपूर्ण योजनाओं पर भुगतान की गई राशि
1	प्रशासनिक भवन निर्माण मद	2008 –09	1	1	-	-	-
2	विधायक मद	2009–10	1	-	1	6,25,260.00	4,19,966.00
3	12वां वित्तीय	2009–10	1	-	1	9,48,800.00	7,64,246.00
4	BRGF	2010–11	2	2	-	-	-
5	BRGF	2011–12	6	6	-	-	-
6	13वां वित्तीय मद	2011–12	1	1	-	-	-
	कुल		12	10	2	15,74,060.00	1184212.00

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट–X पर)

उक्त दो अपूर्ण योजनाओं को यथाशीघ्र पूर्ण कर एवं योजना पंजी का समुचित रुप से संधारण कर अगले अंकेक्षण को दिखाया जाए।

15. **<u>योजनाओं की क्षतिपूर्ति की राशि की कटौती नही होना (₹ 49820.00) :</u>**

नगर पंचायत, खुसरुपुर द्वारा योजनाओं के कियान्वयन हेतु संवेदकों के साथ फार्म–61 पर अनुबंध किया गया था। इस अनुबंध की कंडिका सं0 02 के अनुसार यदि कोई कार्य संवेदकों के द्वारा निर्धारित समय सीमा तक पूर्ण नही कराया जाता है तो प्रतिदिन विलंब के लिए प्राक्कलित राशि का 0.5% की दर से अधिकतम 10% कटौती किये जाने का प्रावधान था।

नगर पंचायत की योजना संचिकाओं की जॉच से ज्ञात हुआ कि ₹49820.00 की राशि की कटौती क्षतिपूर्ति के रुप में नही की गई थी संबंधित विवरण निम्नलिखित है:

क. सं.	योजना सं/वर्ष	प्रा. राशि	कार्यादेश (निविदा के अनुसार कार्य पूर्णता की तिथि)	मापी पुस्त के अनुसार कार्य पूर्ण होने की तिथि	विलंब	क्षतिपूर्ति/दण्ड 10% प्रा. राशि
(i)	03/2011–12 (बी.आर.जी.एफ.)	4,98,200.00	04.03.2012	30.03.2012	26 दिन	49,820.00
					कुल	49820.00

इस प्रकार संवेदकों को ₹ 49820.00 अधिक भुगतान कर दिया गया।

नगर पंचायत, खुसरुपुर के द्वारा जवाब दिया गया कि उक्त राशि की वसूली संबंधित/जिम्मेवार व्यक्ति से कर ली जाएगी।

अतः ₹ 49820.00 अधिक भुगतान की राशि की वसूली संबंधित जिम्मेवार व्यक्ति से यथाशीघ्र नगर पंचायत निधि में जमा किया जाये तथा अगले अंकेक्षण को दिखाया जाए।

16. **योजना का कियान्वयन विभागिय स्तर पर किया जाना:₹24.85 लाख**

योजना संख्या - 01/2008.09

योजना का नाम - प्रशासनिक भवन का निर्माण कार्य

प्रा. राशि - 24,89,800.00

मापी की राशि - 24,88,442.00

भुगतान - 24,85,180.00

कार्यादेश की तिथि -22.04.2008

अभिकर्ता -श्री राजीव रंजन कुमार श्रीवास्तव, पंचायत राज. पदा.

अंकेक्षण आपत्ति –

सरकार के विभिन्न पत्रांक सं. 356/22.01.2008, 1954/17.04.2008, 2729/27.05.2008 के द्वारा निदेश दिया गया था कि नगर निकायों में सभी योजनाओं का कियान्वयन निविदा के माध्यम से कराया जाय तथा इस आदेश का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाए।

नगर निकाय, खुसरुपुर में प्रशासनिक भवन का निर्माण संविदा के माध्यम से न कराकर विभागीय स्तर से कराया गया था। इस प्रकार सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए रु. 24,85,180.00 का व्यय किया गया।

56)

नगर पंचायत, खुसरुपुर के द्वारा उक्त आपत्ति का कोई स्पष्टीकरण नही दिया गया। इसे अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाय एंव भविष्य में सरकार के दिशा–निर्देशों को पालन करते हुए योजना का कियान्वयन किया जाय।

17. **दैनिक मजदूरी पर भुगतान ₹ 2,59,123.00** :

नगर विकास विभाग बिहार सरकार के पत्रांक 4 न0 अ0 /1/99/1886/न0 वि0 वि0 दि0. 25.06.01 एवं इसके बाद भी समय.समय पर जारी निर्देशों द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को दैनिक भुगतान पर मजदूरों को रखने पर रोक लगा दी गयी थी।

नगर पंचायत, खुसरुपुर की रोकड़ बही की जॉच से ज्ञात हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2008–09 से 2011-12 तक नगर पंचायत द्वारा ₹2,59,123.00 का व्यय दैनिक मजदूरी पर किया गया था।

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट–XI पर)

सरकार के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए जो ₹259123.00 का भुगतान किया गया था उसका संतोषप्रद स्पष्टीकरण नगर पंचायत द्वारा नही दिया गया।

अतः सरकार से प्राप्त घटनोत्तर स्वीकृति प्राप्त करने तक ₹ 2,59,123.00 को अंकेक्षण आपत्ति के अंर्तगत रखा जाता है।

18. **कर्मचारी बल** :–

नगर पंचायत, खुसरुपुर द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों के अनुसार दिनांक 01.04.2012 को नगर पंचायत में कर्मचारी बल की स्थिति निम्न थी :

क.सं.	पदनाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	अभियुक्ति
1	स. लेखापाल सह लिपिक	1	शून्य	स्वानिवृत्त टैक्स दारोगा मानदेय पर कार्यरत
2	स. कर दारोगा सह रोकड़पाल	1	शून्य	-
3	टैक्स कलेक्टर सह स. ला. ई.	1	शून्य	-
4	आदेशपाल	1	1	-
5	सफाई जमादार	1	1	-
6	सफाई कर्मी	5	3	-
	कुल	10	5	

155

नगर पंचायत से स0 ले0 लेखापाल सह लिपिक, स0 कर दारोगा सह रोकड़ पाल एवं टैक्स कलेक्टर सह स0 ला0 ई जैसे महत्पूर्ण पद रिक्त थे। अतः सुझाव दिया जाता है कि इसकी भर्ती हेतु सरकार से पत्राचार किया जाए।

19. **<u>अग्रिम</u>** :–

नगर पंचायत, खुसरुपुर के द्वारा आग्रिम पंजी का संधारण नही किया गया था। अतः यह पता नही लगाया जा सका कि वित्तीय वर्ष 2008–09 के प्रारंभ में कितनी राशि असमायोजित अग्रिम के रुप में थी। वित्तीय वर्ष 2008–09 से 2011–12 के दौरान कितना अग्रिम दिया गया तथा कितना का समायोजन किया गया एवं 31.03.2102 को असमायोजित अग्रिम की स्थिति क्या थी?

नगर पंचायत के रोकड़ बहियों में दर्ज प्रविष्टि के अनुसार 31.03.2012 को रु. 22,733.00 की राशि असमायोजित अग्रिम के रुप में थी। (विस्तृत विवरणी परिशिष्ट–XII पर)

नगर पंचायत द्वारा जवाब दिया गया कि राशि ₹ 22,733.00 के अग्रिम से संबंधित अभिश्रव प्रस्तुत किया जाएगा।

अतः ₹ 22,733.00 के असमायोजित अग्रिम का समायोजन यथाशीघ्र कर अगले अंकेक्षण को दिखाया जाए।

20. **<u>कार्यपालक से वार्तालाप</u>** :–

लेखा परीक्षा में उठाये गये बिन्दुओं पर लेखा परीक्षा के दौरान एवं दिनांक 06.10.2012 को कार्यपालक अधिकारी से चर्चा की गयी।

21. **<u>लेखा परीक्षा परिणाम</u>** :–

(क) अंकेक्षण के दौरान वसूल की गई राशि– ₹ 42,303.00

(ख) वसूली के लिए सुझाई गयी राशि –₹ 2,71,195.00

(ग) अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी गई राशि –₹ 2,59,123.00

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट–XIII पर)

54)

22. <u>समान्य अभियुक्ति</u> :

नगर पंचायत में अभिलेखों तथा पंजी के संधारण में सुधार लाने कीर काफी गुंजाईश है। नगर पंचायत में कई महत्वपूर्ण अभिलेखों तथा अनुदान पंजी, अग्रिम पंजी, योजना पंजी, परिसम्पत्ति पंजी इत्यादि का संधारण नही किया जाता है। नगर पंचायत के अपने स्रोतों से वसूली की स्थिति काफी दयनीय है।

अतः कार्यपालिका एवं विधायिका का ध्यान उपरोक्त बिन्दुओं पर आकृष्ट करते हुए यह सलाह दी जाती है कि इन पर उचित कार्यवाही की जाए ताकि भविष्य में त्रुटियों को दूर रखा जा सके।

-हस्ता0-

कुमार प्रज्ञामूर्त्ति

(स0 ले0 प0 अ0)

-अनुमोदित-

उपमहालेखाकार(एस0 एस0.I)

-सह-

स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार

सं0 एल0 ए0/एस0 एस0.1/ श0 स्था0 नि0/ दिनांक:–

कार्यपालक पदाधिकारी,नगर पंचायत खुसरूपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाता है। अनुरोध है कि प्रस्तुत अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाये गये सभी बिन्दुओं/आपत्तियों का अनुपालन अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित प्रतिवेदन प्राप्त होने के तीन महीनों के अंदर नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति को समीक्षोपरान्त इस कार्यालय को प्रेषित किया जाय।

"यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखा परीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध कराये गए सूचनाओं/विवरणी के आधार पर तैयार किया गया है। प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।"

ह0/-
लेखा परीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय,सोशल सेक्टर.I
स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा,
बिहार ,पटना

सं0 एल0 ए0/एस0 एस0.1/ श0 स्था0 नि0/14333/1015 दिनांक:. 08/03/13

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः

(i) प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना

(ii) जिलाधिकारी, पटना

08/03/13
लेखा परीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय,सोशल सेक्टर.I
स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा,
बिहार, पटना

58

37

परिशिष्ट — I (37)

अंकेक्षण में जाँच किये गये अभिलेखों की सूची

(अंकेक्षण प्रतिवेदन की कंडिका सं० – 3 में संदर्भित)

(1) लेखापाल द्वारा संधारित रोकड़ बही
(2) बैंक पास बुक / बैंक स्टेटमेंट
(3) भंडार पंजी (सामान्य).
(4) भंडार पंजी (फार्म, रसीद)
(5) विविध रसीद
(6) रूच रसीद
(7) दैनिक संग्रह पंजी
(4) चालान
(8) चेक भुगतान पंजी.
(9) अभिश्रव (आंशिक)
(10) मोबाईल टावर से संबंधित संचिका.
(11) योजना संचिका (आंशिक).
(12) पिआउओं के क्रय से संबंधित संचिका.

परिशिष्ट - I (ब).

अंकेक्षण में उपस्थापित नहीं किये जाये अथवा असंधारित अभिलेखों की सूची

(अंकेक्षण प्रतिवेदन की कंडिका सं०- 3 में संदर्भित)

(1) रोकड़ बाल रोकड़ बही
(2) ट्रेजरी पास बुक
(3) सरकारी अनुदान पंजी
(4) मासिक, त्रैमासिक तथा वार्षिक लेखा
(5) ऋण पंजी
(6) ऋण विनियोजन पंजी
(7) सूद रजिस्टर.
(8) अग्रिम पंजी.
(9) पी० एफ० लेजर / पास बुक
(10) निवेश पंजी
(11) योजना पंजी
(12) अंकेक्षण पंजी (Audit Register)
(13) बजट प्राक्कलन
(14) सम्पदा पंजी
(15) निर्धारण पंजी (Assessment Register)
(16) माँग एवं वसूली पंजी (गृह कर)
(17) माँग एवं वसूली पंजी (स्वतंत्र एवं व्यापार कर)
(18) माँग एवं वसूली पंजी (फुड एण्ड एडल्टेशन)
(19) दाखिल खारिज पंजी
(20) दुकान किराया पंजी
(21) बंदोबस्ती पंजी
(22) Guard File of vouchers
(23) ~~परिशिष्ट I (अ) के अलावे अ~~ में वर्णित अभिलेखों के अलावा अन्य कोई अभिलेख ।

(३९), (ब) 150

(परिशिष्ट – II)

पी० एल० खाता सं० 8448001020001 – 180 के वित्तीय वर्ष 2008-09 की आय – व्यय विवरणी (प्रतिवेदन की कंडिका – 6 (क) में संदर्भित)

नगर पंचायत, खुसरुपुर

आय

(1) प्रा० शेष – 1194443=91

(2) वर्ष के दौरान आय/प्राप्ति —

(i) सड़क संरक्षण – 7,16,622=00

(ii) नाली निर्माण – 9,99,000=00

(iii) वेतन मद – 3,19,334=00.

(iv) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं पार्षद का वेतन एवं भत्ता मद – 60,000=00

20,94,956=00

(3) कुल आय (1+2) — 3289399=91

व्यय/अंतरण

(4) P/L खाता से Current Account सं० 11713118048 में अंतरण —

(i) 12 वाँ वित्त मद में 07-08 के दौरान प्राप्त राशि का अंतरण – 4,55,160=00

(ii) 07-08 में चापाकल मद में प्राप्त राशि का अंतरण – 7,35,600=00

11,90760=00

(5) अंतशेष (3-4) — 2098639=91.

P.T.O.

पी० एल० खाता सं० 8448001020001-180 के वित्तीय वर्ष 2009-10 तक की आय-व्यय विवरणी

नगर पंचायत, खुसरूपुर

आय

(1) प्रा० शेष — 2098639=91.

(2) वर्ष के दौरान :-
आय/प्राप्ति

(i) कर्मचारी का वेतन मद — 2,41,912=00

(ii) बारहवां वित्त :- 2,30,619=00

(iii) बारहवां वित्त — 2,30,619=00

(iv) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का वेतन, भत्ता — 60,000=00

7,63,150=00

(3) कुल आय (1+2) — 28,61,789=91.

व्यय/अंतरण

(4) P/L खाता से Current Account में अंतरण :-

(i) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षद के वेतन, भत्ता की राशि — 60,000=00

(ii) वेतन मद की राशि — 3,19,334=00

(iii) वेतन मद की राशि — 2,41,912=00

6,21,246=00

(5) अंतशेष (3-4) — 22,40,543=91

पी० एल० खाता सं० 844800102001-180 के वित्तीय वर्ष 2010-11 की आय-व्यय विवरणी

नगर पंचायत, [illegible]

आय

(1) प्रारंभिक शेष — 22,40,543=91.

(2) वर्ष के दौरान —
आय/प्राप्ति

(i) तेरहवाँ वित्त — 5,00,000=00

(ii) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का वेतन, भत्ता — 60,000=00

(iii) कर्मचारी वेतन — 1,42,833=00

7,02,833=00.

(3) कुल आय (1+2) — 29,43,376=91.

(4) व्यय/अंतरण

(i) तेरहवाँ मद की राशि का Current Account में अंतरण — 5,00,000=00

(ii) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं पार्षद भत्ता मद की राशि का Current Account में अंतरण — 60,000=00

(iii) वेतन मद की राशि का Current Account में अंतरण — 1,42,833=00.

(iv) बारहवाँ मद की राशि का Current Account में अंतरण — 4,00,000=00

11,02,833=00

(5) अंतशेष [(4-5)] (3-4) — 18,40,543=91.

पी० एल० खाता सं० 844800102000१ – 180 के वित्तीय वर्ष 2011-12 की आय – व्यय विवरणी

नगर पंचायत, [illegible]

आय

(1) प्रारंभिक शेष — 18, 40, 543 = 91.

(2) **आय / प्राप्ति** :–

(i) तेरहवां वित्त — 6,00,000 = 00

(ii) मुद्रांक शुल्क की राशि — 2,97,930 = 08

(iii) मुद्रांक शुल्क की राशि — 97,230 = 00

(iv) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षद का वेतन, भत्ता — 60,000 = 00

(v) तेरहवां वित्त मद की राशि — 5,78,000 = 00

(vi) सहायक अनुदान — 22,92,170 (13,24,984 + 9,67,186)

(vii) असम्बद्ध अनुदान — 20,00,000 = 00

(viii) वेतन मद — 21,307 = 00

(ix) ई गवर्नेंस — 78,979 = 00

60,25,616 = 08.

~~(3) व्यय / अंतरण~~

(3) कुल आय (1 + 2) — 78,66,159 = 99.

(4) **व्यय / अंतरण**

(i) 12 वां वित्त की राशि का CA से अंतरण — 61,000 = 00

(ii) संवेदक को नाली निर्माण मद से भुगतान — 6,48,738 = 00

7,09,738 = 00

(5) अंतशेष (3 – 4) — 71,56,421 = 99.

परिशिष्ट – III (प्रतिवेदन की कंडिका 6(ख) में संदर्भित).

आय-व्यय विवरणी – 2008-09; ~~कर्ता~~ Memorial cash Book

(1) प्रारंभिक शेष :- 34,30,399=67.

(2) वर्ष के दौरान आय —

(i) स्वयं के स्रोत से — 42068=00

(ii) मैचिंग ग्रांट — 74,400=00.

(iii) 12वां वित्त मद की राशि 07-08 में प्राप्त वर्ष 08-09 में PL खाता से अंतरित — 4,55,160=00

(iv) 12वां वित्त मद में प्राप्त — 2,27,581=00.

(v) 07-08 में प्राप्त चापाकल मद की राशि 08-09 में अंतरित — 7,35,600=00.

(vi) मोबाइल टावर की, टाटा इंडिकॉम, पटना के द्वारा — 1,00,000=00

(vii) संवेदक के द्वारा जमा की गयी DOB की राशि — 22,500=00

16,57,309=00

(3) कुल आय (1+2) — 50,87,708=67

P.T.O.

45

(44)

(22)

(4) <u>व्यय</u>

(i) वेतन एवं स्थापना —	3,07,858=00
(ii) कार्यालय भवन निर्माण —	8,80,969=00
(iii) पी०एफ० भुगतान —	4600=00
(iv) डीजल पर व्यय —	9618=00
(v) वाहन प्रवेश शुल्क की बंदोबस्ती की राशि वापस —	1,29,375=00
(vi) ट्रैक्टर मरम्मति एवं रजिस्ट्रेशन एवं ठेला मरम्मति —	4511=00
(vii) कर निर्धारण करने वाले को भुगतान —	10,624=00
(viii) पेंशन एवं पी० एफ० की राशि बैंक में जमा —	30358=00
(ix) बी० पी० एल० कार्ड हेतु —	952=00
(x) सीमेंट क्रय हेतु (कार्यालय भवन)(बाद में कैंसिल) —	[illegible]
(xi) अध्यक्ष को यात्रा भत्ता —	1954=00
(xii) बैंक कमीशन —	38=00
	17,09,95[illegible]=00

(5) अंतशेष (3-4) — 33,77,751=67

[illegible]

(५५)

आय - व्यय विवरणी - 2009-10 General Cash Book

(1) प्रारंभिक शेष — 33,77,751=67

(2) आय

(i) स्वयं के स्रोत से — 1,11,153=00

~~(ii) चेक कैंसि~~

(ii) चेक कैंसिलेशन से प्राप्त राशि — 57,000=00

(iii) BRGF — 8,94,919=00

(iv) कर्मचारियों के पेंशन खाते की राशि — 1,51,253=32

(v) 12 वित्त मद का आवंटन — 6,71,464=00

(vi) वेतन मद (P.L खाता से अंतरण) — 3,19,334=00

(vii) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं पार्षद भत्ता मद — 60,000=00

(viii) वेतन मद (P/L खाता से अंतरण) — 2,41,912=00

(ix) BOB की राशि — 1,42,000=00

(x) मोबाइल टॉवर टैक्स — 80,000=00

27,29,035=32

(3) कुल आय — 61,06,786=99

P.T.O.

(4) व्यय

(i) वेतन एवं भत्ता — 5,26,294=00

(ii) निर्वाचित सदस्य का वेतन एवं भत्ता — 81,300=00

(iii) कार्यालय भवन — 10,76,000=00

(iv) विद्युतीकरण — 108050=00

(v) ऑटो/पिपाजुओं का क्रय — 3,18,375=00

(vi) पेंशन भुगतान — 48,912=00

(vii) पेंशन एवं PF जमा — 49,440=00

(viii) 12 वां वित्त मद — 1,79,706=00

(ix) शौचालय एवं चापाकल — 2,86,090=00

(x) अभियंता को भुगतान — 3120=00

(xi) कूल डेकोरेशन — 5400=00

26,82,687=00

(5) अंतशेष (3) - (4) — 34,24,099=99

आय-व्यय विवरणी - 2010-11 ; Income cash Book.

(1) प्रा० शेष — 34,24,099=99.

(2) आय

(i) स्वयं के स्रोत से — 2,55,221=00.

(ii) नगर प्रबंधक का वेतन मद — 1,40,000=00

(iii) BRGF — 2,44,812=00

(iv) BRGF — 4,32,388=00.

(v) 13वीं वित्त (P/L खाता से अंतरित) (Transfer) — 5,00,000=00

(vi) जनगणना — 80,632=00.

(vii) कर्मचारी का वेतनमद (P/L खाता से अंतरण) (Transfer) — 1,42,833=00

(vii) 12वां वित्त मद (P/L खाता से अंतरण) — 4,00,000=00

(viii) निर्वाचित सदस्यों का वेतन, भत्ता — 60,000=00

(ix) कमीशन एजेंट के द्वारा जमा की गयी जमानत राशि — 40,000=00 ~~30,000=00~~

(x) निबंधन शुल्क — 500=00

(xi) बैंक से ब्याज — 126758=00

24,23,144=00

(3) कुल आय — 58,47,243=99

P.T.O.